



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24102020-222711
CG-DL-W-24102020-222711

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 24—अक्टूबर 30, 2020 (कार्तिक 2, 1942)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24—OCTOBER 30, 2020 (KARTIKA 2, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	715	खोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	705	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1657	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1193
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	305
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1315
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—291 GI/2020

(715)

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	715	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	705	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1657	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1193
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	313
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1315
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2020

विषय:—केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के संवर्गों की समीक्षा : अनुमोदित पदों का विवरण।

सं. 14034/3/2016-राभा (प्रशि.)—यह अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर, 2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के क्रम में है, जिसके माध्यम से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की संवर्ग समीक्षा के अनुमोदन को संप्रेषित किया गया था।

2. वित्त मंत्री की स्वीकृति के आधार पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 20 सितंबर, 2019 की फाईल सं. 2(2)E-III/Desk/2018 के तहत विभिन्न संवर्गों की संरचना निम्न विवरण के अनुसार की गई है:—

1. हिंदी भाषा संवर्ग:—

पद का नाम	लेवल	मौजूदा स्वीकृत पद	गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या
संयुक्त निदेशक (भाषा)	लेवल-12	01	07 (+06)
उप निदेशक (हिशियो)	लेवल-11	06	18 (+12)
सहायक निदेशक (भाषा)	लेवल-10	55	150 (+95)
हिंदी प्राध्यापक	लेवल-8	158*	00 (-158)
कुल पद		220	175 (-45)

*हिंदी प्राध्यापकों के मौजूदा भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति के पात्र हिंदी प्राध्यापकों को रिक्तियों के अनुसार सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर पदोन्नति दे दी जाएगी तदनुसार उन हिंदी प्राध्यापकों के पदों को समाप्त माना जाएगा। शेष हिंदी प्राध्यापक, जब तक पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार अर्हक सेवा एवं आज्ञापक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक वे हिंदी प्राध्यापक के पद पर ही बने रहेंगे। भविष्य में जब शेष हिंदी प्राध्यापक भी मौजूदा भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार अर्हक सेवा एवं आज्ञापक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें भी नियमानुसार सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर पदोन्नति दे दी जाएगी तत्पश्चात सभी हिंदी प्राध्यापकों के पदों को समाप्त माना जाएगा।

2. हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि संवर्ग:—

पद का नाम	लेवल	मौजूदा स्वीकृत पद	गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या
संयुक्त निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)	लेवल-12	01	02 (+01)
उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)	लेवल-11	02	04 (+02)
सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)	लेवल-10	39	35 (-04)
कुल पद		42	41 (-01)

3. लिपिकीय संवर्ग :—

पद का नाम	लेवल	मौजूदा स्वीकृत पद	गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या
अनुभाग अधिकारी	लेवल-07	00	08 (+08)
कार्यालय अधीक्षक	लेवल-06	07	00 (-07)
सहायक	लेवल-06	00	20 (+20)
उच्च श्रेणी लिपिक	लेवल-04	43	30 (-13)
अवर श्रेणी लिपिक	लेवल-02	54	40 (-14)
एम.एस.टी.	लेवल-01	98	70 (-28)
कुल पद		202	168 (-34)

4. आशुलिपिक संवर्ग:—

पद का नाम	लेवल	मौजूदा स्वीकृत पद	गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या
निजी सचिव	लेवल-07	00	01 +01)
आशुलिपिक ग्रेड1-	लेवल-06	08	04 (-04)
आशुलिपिक ग्रेड2-	लेवल-04	05	07 (+02)
कुल पद		13	12 (-01)

5. प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन/आमेलन के पद :—

पद का नाम	लेवल	मौजूदा स्वीकृत पद	गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या
निदेशक	लेवल-13	01	01
प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-11	01	01
लेखा अधिकारी	लेवल-07	01	00 (-01)
लेखाकार	लेवल-06	01	00 (-01)
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (भाषा)	लेवल-07	-	02 (+02)
अनुसंधान सहायक (भाषा)	लेवल-06	05	03 (-02)
अनुसंधान सहायक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)	लेवल-06	02	02
भंडारी	लेवल-02	01*	00 (-01)
टाईपराईटर मैकेनिक	लेवल-02	01	00 (-01)
स्टाफ कार ड्राइवर	लेवल-02	01	01
कुल पद		14	10 (-04)

*भंडारी का पद वर्तमान पदाधिकारी के सेवानिवृत्त होने अथवा किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने के पश्चात ही समाप्त माना जाएगा ।

3. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के विभिन्न संवर्गों की समीक्षा के परिणामस्वरूप अतिरिक्त सृजित पदों पर पदोन्नति मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी तथा नए सृजित पदों पर (भर्ती नियम अधिसूचित न होने की स्थिति में) पदोन्नति कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से की जाएगी।

4. यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2020

संकल्प

सं. 2-1/2019-रा.भा.नी.—राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 15 मार्च, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा. (क-2) और दिनांक 04.05.1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा. (क-2) के अनुसरण में तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के दिनांक 24.08.2016 के संकल्प सं 2-1/2014 रा.भा.नीति के अधिक्रमण में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दोनों विभागों—कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया गया है। इस पुनर्गठित समिति की संरचना और कार्य, आदि निम्न प्रकार होंगे:—

1. समिति की संरचना :—

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| .1 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री | अध्यक्ष |
| .2 कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| .3 कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

4.	श्री संतोष पाण्डेय, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: वार्ड नंबर 01, शांतिदीप राइस मिल के समीप, जिला कबीरधाम-491995, छत्तीसगढ़ 09425246668 (मो.) वर्तमान पता: 173, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली) - 110001 टेलीफोन: 011-23094446, 09871880086 (मो.)	सदस्य
5.	श्रीमती सुनीता दुग्गल, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: 449, सेक्टर-20, सिरसा, हरियाणा दूरभाष:- (01666) 247700, 09999981876 (मो.) वर्तमान पता: 15, महादेव रोड, नई दिल्ली-110001 टेलीफोन: 011-23310320, 08264148585 (मो.)	सदस्य
6.	श्री राम विचार नेताम, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: ग्राम एवं डाकघर, सानावल तहसील-पाल (रामानुजगंज), जिला-बलरामपुर, रामानुजगंज छत्तीसगढ़-497220 {0771} 2972477, 09425256555 (मो.) वर्तमान पता: 601 स्वर्ण जयंती सदन डीलक्स, डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 टेलीफोन: 011-21430074, 23356811, 09013181558 (मो.)	सदस्य
7.	श्री संजय सेठ, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: 8/1, विक्रमादित्य मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001 टेलीफोन: 0522-2239995, 0547-2220580, 2237746 वर्तमान पता: 16 डी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001 टेलीफोन: 011-21430094, 09013181611 (मो.)	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य

8.	श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: ग्राम एवं डाकघर-लोब, थाना-झिरोली, तहसील-कफालीगैर, जिला-बागेश्वर (उत्तराखंड) पिन-900473, 09412056872 (मो.) वर्तमान पता: 603 ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 टेलीफोन: 011-23737006, 09013180055 (मो.)	सदस्य
----	---	-------

9.	श्री बालूभाऊ धानोरकर (उर्फ सुरेश नारायणराव), संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: सूर्यकिरण लक्ष्मीनगर, अभयंकर वार्ड, वरोरा, जिला चंद्रपुर-442907 (महाराष्ट्र) दूरभाष: (07176) 280586, वर्तमान पता: 37 एवं 39, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011, 09923232462 (मो.)	सदस्य
----	--	-------

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित

10.	श्री कवडू (बंडू) किसनजी रक्षक, पता: 'श्रमसाफल्य' आनंद नगर, शिक्षण सोसाइटी, सीता लॉन के पास, जयताला रोड, नागपुर-440016, मोबाईल-09657876720	सदस्य
-----	---	-------

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित

11.	श्री विनीत रावत, कार्यालय का पता: केन्द्रीय विद्यालय सीआरपीएफ, झरोदा कलां, नई दिल्ली-110072 पता: हाउस नं. : 2094 बी, गली नं. 165, गणेशपुरा, त्रिनगर, दिल्ली-110035 मोबाइल नं. : 09868164008, 07678327718	सदस्य
-----	---	-------

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

12.	श्री कंकण नारायण सिक्कीदार पता: गांव - भितोर गंगारपुर, पोस्ट - जराइलटोला बाजार, जिला - कचार, असम-788127, 09401039535 (मो.)	सदस्य
13.	डॉ. जगदीश हनामंत कुलकर्णी पता: "सुग्गी", अलूर कम्पाउण्ड, 3 क्रॉस साधनकेरी, धारवाड़, कर्नाटक-580008 09449822518 (मो.)	सदस्य
14.	डॉ. राम बोध पाण्डेय पता: ग्राम/पोस्ट डाही, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, 9451044830 (मो.)	सदस्य
15.	श्री देवी सिंह राणा पता: ग्राम भलस्वागाज, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, 09058404751 (मो.)	सदस्य

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

.16	श्री योगेन्द्र नाथ बरतरिया, 26, साउथ सिटी एंक्लेव एक्सटेंशन, गुजराती कॉलोनी, बावड़िया कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश-462039	सदस्य
.17	श्री राम प्रताप मिश्रा 'साकेती', पता: वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग, विवेकानंद नगर, बंजारावाला, देहरादून, उत्तराखंड	सदस्य
.18	श्री विजय कुमार, पता: ग्राम : धरिकापुर, पोस्ट-कटवार, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222165	सदस्य

सरकारी सदस्य

- | | |
|---|-------|
| 19. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | सदस्य |
| 20. सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग | सदस्य |

21. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
22. विशेष सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य
23. विशेष सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य
24. विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य
25. अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य
26. अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य
27. अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य
28. अपर सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	सदस्य
29. कृषि आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य
30. बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य
31. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
32. संयुक्त सचिव (राजभाषा के प्रभारी), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य सचिव

2. समिति के कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना है।

.3 समिति का कार्यकाल:—

समिति का कार्यकाल सामान्यतः उसके गठन की तिथि से 3 वर्ष तक होगा बशर्ते कि:

- (क) ऐसा सदस्य, जो संसद सदस्य है, यदि वह संसद सदस्य नहीं रहता है तो वह समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे, जब तक कि वे उन पदों पर हैं, जिनके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं।
- (ग) यदि समिति के किसी सदस्य के त्याग पत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई रिक्ति होती है तो उसके स्थान पर नियुक्त होने वाला सदस्य समिति की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
- (घ) विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम या ज्यादा किया जा सकता है।

.4 सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। यदि समिति आवश्यकता समझे तो अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है।

.5 यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते :—

- (क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत, समिति में नामित सांसदों को समिति की बैठकों में भाग लेने पर संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।
- (ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को इस समिति के उच्च स्तरीय स्वरूप के दृष्टिगत राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/86-रा.भा. (ए-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित/निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य वेतन एवं लेखा अधिकारी, कृषि मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अश्वनी कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 29th September 2020

Subject: Cadre review of Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme : Details of approved posts.

No. 14034/3/2016-OL(Trg.)— This notification is in the order of the even no. office order dated November 13, 2019, through which the approval of Central Review of Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme has been communicated.

2. Based on the approval of the Finance Minister, Ministry of Finance, Government of India, the various categories are structured under File No. 2(2)E-III/Desk/2018 dated September 20, 2019 as per the following details:—

1. Hindi Language Cadre:—

Name of the Post	Level	Present Sanctioned Posts	Number of Posts proposed by MHA and approved by Department of Expenditure, Ministry of Finance
Joint Director (Language)	Level-12	01) 07+06)
Deputy Director (Hindi Teaching Scheme)	Level-11	06	18 (+12)
Assistant Director (Language)	Level-10	55	150 (+95)
Hindi Pradhyapak	Level-8	158(*)	00 (-158)
Total Posts		220	175 (-45)

*As per the provisions contained in existing recruitment rules of Hindi Pradhyapak, eligible Hindi Pradhayapaks for promotion will be given promotion to the post of Assistant Director (Language) as per the vacancies available. Accordingly, the posts of those Hindi Pradhayapaks will be deemed abolished. The remaining Hindi Pradhayapaks will remain in the Hindi Pradhayapak's post, till they complete the qualifying service and mandatory training according to the provisions of recruitment rules for promotion. In future, when the remaining Hindi Pradhayapaks will also complete qualifying service and compulsory training as per the provisions of the existing recruitment rules, they will also be promoted to the post of Assistant Director (Language) as per the rules, after which the posts of all Hindi Pradhayapaks will be deemed to be abolished.

2. Hindi Typing & Hindi Stenography Cadre:—

Name of the Post	Level	Present Sanction Post	Number of Posts proposed by MHA and approved by Department of Expenditure, Ministry of Finance
Joint Director (Hindi Typing/Hindi Stenography)	Level-12	01	02 (+01)
Deputy Director (Hindi Typing/Hindi Stenography)	Level-11	02	04 (+02)
Assistant Director (Hindi Typing/Hindi Stenography)	Level-10	39	35 (-04)
Total Posts		42	41 (-01)

3. Clerical Cadre:—

Name of the Post	Level	Present Sanction Post	Number of Posts proposed by MHA and approved by Department of Expenditure, Ministry of Finance
Section Officer	Level-07	00	08 (+08)
Office Superintendent	Level-06	07	00 (-07)
Assistant	Level-06	00	20 (+20)
Upper Division Clerk	Level-04	43	30 (-13)
Lower Division Clerk	Level-02	54	40 (-14)
Multitasking Staff	Level-01	98	70(-28)
Total Posts		202	168 (-34)

4. Stenography Cadre:-

Name of the Post	Level	Present Sanction Post	Number of Posts proposed by MHA and approved by Department of Expenditure, Ministry of Finance
Personal Assistant	Level-07	00)01+01)
Stenographer Grade-1	Level-06	08	04 (-04)
Stenographer Grade-2	Level-04	05	07 (+02)
Total Posts		13	12 (-01)

5. Deputation/Re-employment/Absorption Posts:—

Name of the Post	Level	Present Sanction Post	Number of Posts proposed by MHA and approved by Department of Expenditure, Ministry of Finance
Director	Level-13	01	01
Administrative Officer	Level-11	01	01
Account Officer	Level-07	01	00 (-01)
Accountant	Level-06	01	00 (-01)
Senior Research Assistant (Language)	Level-07	00	02 (+02)
Research Assistant (Language)	Level-06	05	03 (-02)
Research Assistant (Hindi Typing and Hindi Stenography)	Level-06	02	02
Storekeeper	Level-02	01 (*)	00 (-01)
Typewriter Mechanic	Level-02	01	00 (-01)
Staff Car Driver	Level-02	01	01
Total Posts		14	10 (-04)

(*) The post of Storekeeper will be deemed to be abolished only after the current incumbent retires or falls vacant due to any other reason.

3. Consequent to the cadre review of various cadres of Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, the Promotions against additionally created posts will be made as per Recruitment Rules and promotions against newly created posts will be made (in absence of notified Recruitment Rules) in consultation with Department of Personnel & Training.

4. This issues with the approval of competent authority.

MEENAKSHI JOLLY
Joint Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, CO-OPERATION & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 7th October 2020

RESOLUTION

No. 2-1/2019- OL Policy —In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language OM No. II/20015/45/87-OL(A-2) dated 15 March, 1988 and OM No. II/20015/45/87-OL(A-2) dated 04.05.1989 and in suppression of Department of Agriculture, Cooperation & Farmer's Welfare Resolution Number 2-1/2014 OL Policy dated 24.08.2016, it has been decided to reconstitute the Joint Hindi Salahkar Samiti for both the Departments viz. Department of Agriculture, Cooperation & Farmer's Welfare and Department of Agriculture, Research and Education of the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Composition and functions etc. of this reconstituted committee are as under:—

(1) The composition of the Samiti (Committee):—

- | | |
|--|---------------|
| 1. Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare | Chairman |
| 2. Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare | Vice-Chairman |
| 3. Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare | Vice-Chairman |

Non Official Members:

Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

4.	Shri Santosh Pandey, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address : Ward No. 01, Near Shantideep Rice Mill, Distt. Kabirdham-491995, Chhattisgarh 09425246668 (M) Present Address: 173, North Avenue, New Delhi-110001 Tel. 011-23094446,09871880086 (M)	Member
5.	Smt. Sunita Duggal, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address: 449, Sector-20, Sirsa, Haryana Tel: (01666) 247700, 09999981876 Present Address: 15 Mahadev Road, New Delhi-110001 Tel: 011-23310320, 08264148585 (M)	Member
6.	Shri Ramvihar Netam, Member of Parliament (Rajya Sabha) Permanent Address: Village/Post. Sunawal Teh.-Pal- Ramanujganj, Dist.Balrampur Ramanujganj, Chattisgarh-497220 (0771) 2972477, 09425256555 (M.) Present Address: 601 Swarna Jayanti Sadan Deluxe, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001, Tel. 011-21430074, 23356811, 09013181558 (M.)	Member
7.	Shri Sanjay Seth, Member of Parliament (Rajya Sabha) Permanent Address:8/1, Vikramaditya Marg, Hazaratganj, Lucknow, Uttar Pradesh 226001 Tel: 0522-2239995, 0547-2220580, 2237746 Present Address: 16-D, Firozeshah Road, New Delhi-110001 Tel. 011-21430094, 09013181611 (M)	Member

Members of Parliament nominated by the Committee of Parliament on Official Language

8.	Shri Pradeep Tamta, Member of Parliament (Rajya Sabha) Address: Village & Post office Lob,Thana Jhiroli, Tehsil- kafaligair, Bageshwar District, Uttarakhand-900743, 09412056872 (M) Present Address: 603 Brahmputra Apartments, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001 Tel. 11-23737006, 09013180055 (M)	Member
9.	Shri Balubhau Dhanorkar Urf Suresh Narayanrao, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address: Suryakiran Laxminagar, Abhyankar Ward, Warora Distt. Chandrapur -442907, Maharashtra Tel: (07176) 280586, Present Address: 37 & 39, South Avenue, New Delhi-110011 09923232462 (M)	Member

Nominated by Rastrabhasha Prachar Samiti, Wardha

10.	Shri Kabadu (Bandu) Kisanji Rakshak Address: 'Shramsafalya' Anand Nagar Educational Society, Near Sita Ion, Jaitala Road, Nagpur-440016, Mobil No. 09657876720	Member
-----	--	--------

Nominated by Kendriya Sachivalya Hindi Prishad

11.	Shri Vinit Rawat Office Address: Central School CRPF, Jharoda Kalan, New Delhi-110072 Address: House No. 2094 B, Street No. 165, Ganeshpura, Trinagar, Delhi-110035 Mobil: 09868164008,07678327718	Member
-----	---	--------

Nominated by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

12 .	Shri Kankan Narayan Sikidar Address: Bhitoragangapur post Jarailtola Bazar Distt. Kachar, Assam-788127, 09401039535 (M)	Member
13.	Shri Jagdish Hanamant Kulkarni Address: "Suggi" Alur Compound, 3 Cros Sadhankeri, Dharvaad Karanataka-580008, 09449822518 (M)	Member

14.	Dr. Ram Bodh Pandey Address: Gram/Post Dahi Teh. Patti, Distt. Pratapgarh, Uttar Pradesh 09451044830 (M)	Member
15.	Shri Devi Singh Rana Address: Gram Bhalaswagaaj Teh. Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand 09058404751 (M)	Member

Nominated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

16.	Shri Yogendra Nath Bartariya Address: 26, South City Enclave Extension, Gujarati Colony, Bawariya Kalan, Bhopal, Madhya Pradesh-462039.	Member
17.	Shri Ram Pratap Mishra 'Saketi', Address: Veerchand Singh Garhwali Marg, Vivekanand Nagar, Banjarawala, Dehradun , Uttarakhand	Member
18 .	Shri Vijay Kumar, Address: Village Dharikapur, Post-Katwar, Distt.- Jaunpur, Uttar Pradesh-222165.	Member

Official Members

19.	Secretary, Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare	Member
20.	Secretary, Department of Agricultural Research and Education	Member
21.	Secretary, Department of Official Language, M/o Home Affairs	Member
22.	Special Secretary, Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare	Member
23.	Special Secretary, Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare	Member
24.	Special Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare	Member
25.	Additional Secretary, Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare	Member
26.	Additional Secretary, Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare	Member
27.	Additional Secretary, Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare	Member
28.	Additional Secretary, Department of Agricultural Research and Education	Member
29.	Agriculture Commissioner, Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare	Member
30.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare	Member
31.	Joint Secretary, Department of Official Language, MHA	Member
32.	Joint Secretary (Incharge of Official Language) Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare	Member Secretary

(2) Function of the Committee:

The function of the Samiti will be to advise with regard to the implementation of the provision relating to Official Language contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by Ministry of Home Affairs (Department of Language) relating to official language and also in regard to the progressive use of Hindi in the official work of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

(3) Tenure of the Committee:

Tenure of Committee will be for a period of three years from the date of its composition, provided that:—

- Any member, who is a Member of Parliament, if he/she ceases to be the Member of Parliament will also cease to be a Member of this Samiti.
- Ex-officio Members of the Samiti will continue to be Members till they hold the post, by virtue of which they are members of the Samiti.
- If any seat falls vacant in the Samiti due to resignation or death etc. of any Members, the Members appointed in his place, will be Member of the Samiti for residual term only.
- In special circumstances the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry.

(4) General:

The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but if considered necessary it may hold its meetings at any other place also.

(5) TA & other allowances:

- a) The Members of Parliament nominated in the Samiti, will be paid Travelling Allowance/Daily Allowance as per the provisions in the 'Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954' and amendments issued from time to time and rules made there under vide Department of official Language office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L. (Policy-2) dated 3 February, 2006 for participating in meetings of the Samiti.
- b) Travelling Allowance/Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of official Language office Memorandum No. II/20034/04/86-O.L. (A-2) dated 22 January, 1987 keeping in view the high level status of the Committee and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all Members, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliament Affairs, Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Election Commission of India, UPSC, Pay and Accounts Office, All the attached/Subordinate Offices/PSUs of Ministry of Agriculture and All the Ministries and Departments of Government of India.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

ASHWANI KUMAR
Joint Secretary